तारीख हुक्म	न्यायालय उपखंड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेड़ा (भीलवाड़ा) हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 242/17 वाद	नम्बर व तारीख अहलकार ... हुक्म की तामील में जारी हुए
31.5.18	पत्रावली आज मुकाम नारेली 'लोक अदालत शिविर' में प्रस्तुत हुई। पक्षकारान उप-स्थित आये। संबंधित पक्षकारान को विस्तार पूर्वक सुना गया। प्रकरण में वादी पक्ष द्वारा वादपत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि मौजा नारेली तह० करेड़ा स्थित आराजी नं. 2494, 2495, 2498, 2499, एवं 2500 कुल किता 05 रकबा 9.05 बीघा भूमि स्व० बरदासिंह पुत्र जवान सिंह रावत एवं श्रीमती केसी पत्नी बरदासिंह रावत की खातेदारी हक की भूमि दर्ज रेकार्ड थी। इस प्रकार उक्त वादग्रस्त 9.05 बीघा भूमि पैतृक होने के बावजूद माता श्रीमती केसी भाई श्री कालु सिंह व अन्य भाई श्री भेरू सिंह के नाम विरासत का खाता खोलते समय दर्ज रेकार्ड कर दी गई। जबकि वादिया संख्या 01 लगायत 07 तथा प्रतिवादिया संख्या 04 पानी देवी भी बरदासिंह की पुत्रियां होने के नाते उन्हें भी माँ एवं दोनों भाइयों के समकक्ष समानुपात में 1/11-1/11 प्रत्येक का हक हिस्सा राजस्व रेकार्ड में दर्ज योग्य था। परन्तु ऐसा नहीं किए जाने के कारण ही वादियागणों को उक्त वाद प्रस्तुत करना पड़ा। इस प्रकरण में विपक्षी/प्रतिवादी संख्या 05 राजकुमार द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 07 C.P.C. के तहत	पार्टी मागी नर्बदा नैनी केसी

तारीख हुक्म	न्यायालय उपखंड अधिकारी पदेन सहायक क. हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज करेड़ा (भीलवाड़ा) 242/17 भाद	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	होकर तरमीम कार्यवाही का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था परन्तु वर्ष 2013 के पश्चात पेशियों पर उपस्थित नहीं होने से विपक्षी पानी देवी के अतिरिक्त समस्त के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाये जाने का आदेश पारित किया गया। दोनों वादिगण पक्ष तथा विपक्षी केसीदेवी के पक्ष को सुना गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त अभिलेखों का अवलोकन किया। यह निर्विवादित तथ्य है कि वादग्रस्त 9.05 बीघा भूमि वादिया संख्या 01 लगायत 07 तथा प्रतिवादी संख्या 04 एवं प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 की संयुक्त सम्पत्ति है जिसमें प्रत्येक का हिस्सा 1/11 - 1/11 दर्ज होना था। परन्तु विरासत का नामान्तरण पारित करते समय वादिया संख्या 01 लगायत 07 तथा प्रतिवादिया संख्या 04 अर्थात 8 बहिनों का हक हिस्सा दर्ज नहीं किया गया। जो विधि के विपरीत होकर गलत इन्द्राज हुआ है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादग्रस्त 9.05 बीघा भूमि जो केवल मात्र प्रतिवादी संख्या 01 से 03 अर्थात माता, व दोनों पुत्रों के नाम विरासत का इंतकाल खोलते समय दर्ज की गई किसी भी दृष्टि से न्यायोचित नहीं होने से एवं शेष 8 बहिनों का हक हिस्सा निर्धारित होना है	

तारीख हुक्म	न्यायालय उपखंड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेड़ा (भीलवाड़ा) हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 242/17 वाद
	न्यायालय द्वारा वादिया संख्या 01 से 07 तथा प्रतिवादिया संख्या 01 लगायत 04 कुल 11 वारिसान के मध्य समानुपात में वादग्रस्त भूमि में हक हिस्सा निर्धारित किये जाने की घोषणा के साथ-साथ खातेदारी काश्तकार घोषित किया जाता है।
	वादियागण का वादपत्र बहक वादियागण विरुद्ध प्रतिवादीगण 01 लगायत 06 स्वीकार किए जाने के आदेश प्रदान किए जाते हैं। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 01 व 03 द्वारा वादग्रस्त 9.05 बीघा में से अपना संपूर्ण हिस्सा प्रतिवादी संख्या 05 को विक्रय कर दिया गया तथा इसी प्रकार प्रतिवादी 02 कालु सिंह द्वारा अपना संपूर्ण हक हिस्सा प्रतिवादी संख्या 06 रामसिंह को विक्रय किया गया परन्तु उक्त विक्रय अपने हक हिस्से $\frac{1}{11}$-$\frac{1}{11}$ के मुकाबले अधिक किये जाने से इन्हें पूर्ण वैधानिक मान्यता प्रदान किया जाना संभव नहीं है। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 01 व 03 द्वारा किये गये विक्रय अनुबंध में केवल मात्र 1.12 बीघा ही प्रतिवादी संख्या 05 राजकुमार के पक्ष में वैध है तथा इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 02 कालु सिंह द्वारा प्रतिवादी संख्या 06 रामसिंह को जो भूमि विक्रय की गई है उसमें 0.16 बीघा (अर्थात 16 बिस्वा) ही वैध है शेष अधिक विक्रय किया गया

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	न्यायालय उपखंड अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर करेड़ा (भीलवाड़ा) हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 242/17 वाद	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	एक हिस्से को शून्य घोषित किया जाता है।	

: आदेश :

वादीगणान का वाद पत्र बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 06 स्वीकार किए जाने से तथा खातेदार काश्तकार घोषित किए जाने से साथ-साथ प्रतिवादी संख्या 05 व 06 को वादग्रस्त भूमि में से निर्धारित विक्रय पत्र/अंशदान बिल्कुल मान्यता प्रदान किए जाने से मौजा गारेली तहसील करेड़ा स्थित आराजी नं. 2494, 2495, 2498, 2499 एवं 2500 कुल किता 05 रकबा 9.05 बीघा में निम्नानुसार एक हिस्सा निर्धारित किया जाता है-

1- वादीगण संख्या 01 लगायत 07 एवं प्रतिवादी संख्या 04 को 1/11 एक हिस्से अनुसार प्रत्येक के पक्ष में 0.16 बीघा (अर्थात 16 बिस्वा) राजस्व रेकार्ड में अंकित किया जावे।

2- प्रतिवादी संख्या 05 के पक्ष में प्रतिवादी संख्या 01 व 03 का विक्रयशुदा हिस्सा होने से 1.18 बीघा तथा

3- प्रतिवादी संख्या 06 के पक्ष में प्रतिवादी संख्या 02 का विक्रयशुदा हिस्सा ... 0.19 बीघा (अर्थात 19 बिस्वा) राजस्व रेकार्ड में अंकित किया जावे। पालनार्थ तहसीलदार करेड़ा को लिखा जावे तदनुसार डिक्री मुर्तिब हो।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर रजं करके बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 31.5.18 को खुले इजलास सुनाया गया।

उपखंड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेड़ा

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व ... अहकाम ... हुक्म की ... में जारी ...
		[illegible]

प्रपत्र-5

मूलवाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर ...करेड़ा

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट)

पीठासीन अधिकारी :- ....

श्रीमती टीपू बाई D/o भरतसिंह रावत निवासी करेड़ा व.अ. उनवान बनाम श्रीमती केसी W/o स्व. बद्रीसिंह रावत व.अ.

दावा बाबत् 88-89, 91, 92A, 188 एवं 53 RT Act

मुकदमा नम्बर :- 242/17 रा. वाद

निर्णय दिनांक :- 31/5/18

वादी की ओर से ...वा.से.... की व प्रतिवादी की ओर से ...प्रति. पक्ष सं. 1... की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख ...31/5/18... को राजेन्द्र सिंह (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी ...करेड़ा... के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि-

वादीगण का वादपत्र बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादी सं. 1 लगायत 6 स्वीकार किये जाने से तथा खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने से साथ-2 प्रतिवादी सं. 5 व 6 द्वारा वादग्रस्त भूमि में से निष्पादित विक्रय पत्र को आंशिक मान्यता प्रदान किये जाने से मौजा मालीतों का खेड़ा स्थित आराजी नं. 2494, 2497, 2498, 2499 एवं 2500 कुल किता-5 रकबा 9.05 बीघा में

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख ...31/5/18... को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

शेष आदेश मुताबिक (अंकित है)

( )
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर करेड़ा

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4. .... रूपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के निर्वाह व्यय	
5. सक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		आदेशिका की तामील	
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामिल			
जोड़		जोड़	

Scanned by CamScanner

अनावेदक

① श्रीमति टीपूबाई, पुत्री लक्ष्मीदेवी, नीतादेवी, 5- गट्टूदेवी, 6- नबीरादेवी, 7- मैनादेवी पुत्रीयां पति क्रमशः ① भूरसिंह ② लक्ष्मणसिंह ③ हीरासिंह ④ नारायणसिंह ⑥ रामसिंह ⑦ डाउसिंह रावत निवासी भीमकाना।

— वादीगण।

प्रमाण

1 श्रीमति केसी पत्नि स्व० बरदा ② कालू s/o ③ मोहनसिंह s/o बाडासिंह ④ पानी देवी D/o सिंह w/o जीवनसिंह रावत
5- राजकुमार पुत्र चन्द्रकांत कुमावत निवासी भीमकाना तहसील धारता जो लिया गया
6. रामसिंह s/o लालसिंह रावत नि. बरोठिया नारेली तहसील केकड़ी
7. रा० रा० जरिये तहसीलदार करेड़ा।

— प्रतिवादीगण।

शेष आदेश।

निम्नानुसार हक हिस्सा निर्धारण किया जाता है।
① वादीगण सं० 1 लगायत 07 एवं प्रतिवादी सं. 4 को हिस्से अनुसार प्रत्येक के पक्ष में 0.16 बीघा राजस्व रेकार्ड में अभिलिखित की जावे।
② प्रतिवादी सं० 5 के पक्ष में प्रतिवादी सं० 1 व 3 का क्रय शुदा हिस्सा होने से 1.18 बीघा तथा
③ प्रतिवादी सं० 6 के पक्ष प्रतिवादी सं० 2 का विक्रय शुदा हिस्सा शेष 0.18 बीघा अर्थात् (उन्नीस बिस्वा) राजस्व रेकार्ड में अभिलिखित की जावे।

उपखंड अधिकारी पर्बत
सहायक कलक्टर करेड़ा